

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 647/2003

Smt Parvati Devi

----Appellant

Versus

R H B

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Yashwant Singh, Adv. for Ms. Suruchi Kasliwal, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

19/02/2026

प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

इस आदेश के माध्यम से अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन संख्या 1/24, 2/24 व 3/24 का निस्तारण किया जा रहा है, जिस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी की अवाप्तशुदा संपत्ति के मुआवजे को अपर्याप्त होना बताते हुए यह अपील प्रस्तुत की गयी है। दौराने अपील अपीलार्थी पार्वती देवी की दिनांक 11.06.2020 को मृत्यु हो जाने से उपरोक्त तीनों आवेदन दिनांक 21.05.2024 को प्रस्तुत कर अबेटमेंट अबेट किये जाने, विलंब को माफ किये जाने तथा वसीयत के आधार पर अपीलार्थी की पुत्री शशि हेम कचोलिया को विधिक प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर लेने का निवेदन किया ।

विलंब के संबंध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया शशि हेम कचोलिया का निवेदन है कि मुआवजे में प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में वसीयत उसकी माता द्वारा अपने जीवनकाल में की गयी थी जिसकी जानकारी तथा वर्तमान प्रकरण की जानकारी उन्हें नहीं थी, जानकारी प्राप्त होते ही बिना किसी अनुचित विलंब के वर्तमान तीनों आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं।

वसीयत दिनांक 02.10.2006 की प्रति अभिलेख पर उपलब्ध है जिसके अनुसार अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे की राशि का अधिकारी अपीलार्थी द्वारा अपनी पुत्री शशि हेम कचोलिया को माना गया है। संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए व उचित आधार होने से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंब को माफ किया जाता है। उपशमन अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार कर शशि हेम कचोलिया को अपीलार्थी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर लिया जाता है और इसी अनुसार तीनों आवेदन स्वीकार किये जाते हैं।

संशोधित शीर्षक पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

पत्रावली उचित आदेश हेतु चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J